न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 30/2019-20

आशा महतो पिता स्व0 मोहन महतो – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–रेवा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – **विपक्षी**

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	**आदेश**	की गई कार्रवाई
18.10.19	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–22R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.18 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
रेवा	खूँटी 234	35	49	0.05
		35	50	0.12
		35	85	0.32
		35	122	0.30
		35	147	0.20
		35	157	0.20
		35	236	0.40
		35	473	0.32
		35	474	0.16
		35	478	0.10
		35	517	0.03
		35	518	0.60
		35	706	0.48
		35	752	0.07
		35	830	0.50
		35	866	0.10
		35	1001	0.03
		35	1002	0.02
		36	173	0.44
		64	1009	0.02
		64	1010	0.02
		04	174	0.65
				5.13

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि उन्होने विवादित भूमि मौजा रेवा थाना खूँटी थाना सं0–234 के खाता सं0–04,35,36 एवं 64 कुल खाता 04 के कुल रकबा 13.94 एकड़ मधे रकबा 06.97 एकड़ से संबंधित है को अपीलकर्त्ता की माँ सन्नु देवी पति स्व0 मोहन महतो ने निबंधन पट्टा सं0–487/466 के द्वारा दिनांक 09.05.1961 को आर0एस0 खतियानी रैयत के वंशज एवं हिस्सेदार विक्रेता श्रीमती यशोदा देवी जौजे खुदिया महतो से खरीदकर दखलकार चले आ रहे है। खरीदगी

पश्चात् अपीलकर्त्ता अपने नाम से जमीन का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जिसे अंचल अधिकारी खूँटी ने दिनांक 11.07.18 को खारीज कर दिया।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री पट्टा सं0–487 / 466 दिनांक 09.05.1961 में कुल रकबा 13.94 एकड़ में से 5.13 एकड़ की खरीदगी गयी है। परन्तु प्लॉट वार भूमि का रकबा डीड में अंकित नहीं है। इस कारण यह तय नहीं किया जा सकता कि किस प्लॉट में कितना रकबा डीड द्वारा प्राप्त है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं पाया कि रजिस्ट्री पट्टा सं0–487 / 466 दिनांक 09.05.1961 में प्लॉट वार भूमि का रकबा अंकित नहीं है। ऐसे में आवेदित भूमि का दाखिल खारिज करना न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

18/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।